न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—241/2016/223 (2016/00241)

1. किशनलाल दत्तक पुत्र बिहारी, जाति रैगर, निवासी ग्राम हरमाड़ा, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दिनांक 18.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 08/2016.

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः— 5.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खाता संख्या 590/517 के खसरा नंबर 994/3 रकबा 9—18—10 ग्राम हरमाड़ा में स्थित है । विवादित भूमि वादी के दत्तक पिता बिहारी को दिनांक 26.11.1975 को आवंटन की गई एवं आवंटन के बाद से आवंटी बिहारी मौके पर काबिज रहा एवं उसका स्वर्गवास दिनांक 14.2.1986 को हो जाने के पश्चात् वादी उसका दत्तक पुत्र होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि अपीलांट के नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा दर्ज नहीं करने केकारण वादी को यह वाद प्रस्तुत पड़ा है । अतः वाद वादी स्वीकार कर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2016 द्वारा

वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सरसरी तोर पर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय प्रदान किया है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गोर नहीं किया कि वाद वादी की साक्ष्य हेतु नियत था जिसमें वादी की साक्ष्य होनी थी किन्तु अधी0न्याया0 ने वादी की साक्ष्य लिये बिना ही उपरोक्त प्रकरण को लोक अदालत कैम्प हरमाड़ा में नियत कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निरस्त कर दिया । बहस में आगे कथन किया कि वादी/अपीलांट विवादित आराजी के खातेदार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है । यह भूमि वादी के दत्तक पिता बिहारी को दिनांक 26.11.1975 को आवंटन की गई थी । अधी0न्याया0 ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उपखण्ड अधिकारी ने प्रस्तुत प्रकरण में आवंटी द्वारा आवंअन शर्तो की पालना नहीं करना मानकर नियम 14 (4) आवंटन नियम 1970 के तहत प्रकरण बनाकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का क्षैत्राधिकार तहसीलदार को नहीं है । आवंटन निरस्तीकरण के प्रावधान भू–राजस्व अधि0 के तहत किया जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है। वादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष गोद पुत्र के आधार पर वाद पेश किया है किन्तु गोदनामे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को कैम्प कोर्ट हरमाड़ा में रखकर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णित किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद वादी की साक्ष्य में नियत था किन्तु अधी0न्याया0 ने वादी की साक्ष्य लिये बिना प्रकरण को कैम्प में बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को सरसरी तौर पर निर्णित किया है जबकि अधी0न्याया0 को वाद में आवश्यक तनकियात कायम कर प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

7. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5. 2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 5.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर